तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज **कमुबेन वगैरह बनाम हीराराम वगैरह, मुकदमा संख्या :– 51/2024**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीली में जारी हुए
23.06.2025	अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वांके सरहद मौजा कारोला, पटवार हल्का कारोला के वर्तमान खसरा संख्या 2748/335 रकबा 0.08 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बाड़ा संयुक्त कब्जा काश्त व संयुक्त खातेदारी की स्थित है। जिसमें वादीया प्रत्येक का 1/9, 1/9 हिस्सा निहित है। वादग्रस्त आराजी वादीया व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है जिसमें हिन्दू उताराधिकारी अधिनियम के अनुसार आराजी के कण कण में वादीया प्रत्येक का हक हिस्सा निहित है लेकिन वादीया व अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के पिता छोगाराम की मृत्यु होने के पश्चात अप्रार्थीगण ने प्रार्थीयागण को बहला फुसला कर जमीन प्रार्थीयागण के नाम करवाने व रेकर्ड में बंटवाड़ा करवाने का झुठा झांसा देने की नियत से प्रार्थीयागण को कहां कि उपरोक्त आराजी हमारे पिताजी के नाम की है तथा अब हमारे पिताजी की मृत्यु होने के बाद हम सब के नाम रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु सांचौर पंजीयन कार्यालय चलकर आपके हस्ताक्षर करने होगें। प्रार्थीयागण सभी अनपढ़ है तथा सगे भाई होने से उन पर विश्वास कर उनके साथ सांचोर पंजीयन कार्यालय गयी, जहां पर पूर्व में ही अजनबी व्यक्ति अप्रार्थी संख्या 04 के नाम रजिस्ट्री लिखवाकर तैयार रखी थी जिस पर झूठा झांसा देकर कि आपके नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने है। इसलिए इन कागजातों पर हस्ताक्षर कर दिये जबकि ऐसा करने का अप्रार्थीगण कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिससे प्रार्थीयागण खातेदारी घोषणा पाने की अधिकारी है तथा वादग्रस्त आराजी प्रार्थीयागण व अप्रार्थीगण की पुश्तैनी पैतृक आराजी है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा कारोला के वर्तमान खसरा संख्या 2748/335 रकबा 0.08 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बाड़ा के प्रार्थीयागण के पुश्तैनी हक हिस्से में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो अप्रार्थीगण स्वयं करें न ही किसी अन्य से करावे व प्रार्थीयागण को अपने पुश्तैनी हक हिस्से से जबरन बेदखल न करे व न करावे। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थीगण आगे से आगे बैचान, रहन, गिरवी, बख्शीश या अन्य किसी प्रकार से संक्रान्त नहीं करे व मूल वाद के ताफैसला तक मौका एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखें। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वांके सरहद मौजा कारोला [illegible] हल्का कारोला के खसरा संख्या 2748/335 रकबा 0.08 हैक्टेयर में से वादीया संख्या 01 लागयत 5 व जानकी पुत्र नरस[illegible], नरेश पुत्र	

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.11 13:12:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नरसीराम जरिये संरक्षक माता नावीबेन, नावी बेन पत्नी नरसीराम उर्फ नरसिंहभाई, बाबुलाल पुत्र छोगाजी व रमेश कुमार पुत्र छोगाराम को जायज जरूरत रकम की आवश्यकता होने से रोकड़ रूपये 2,00,000 अक्षरे दो लाख रूपये अदा कर मौला खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया तथा उपरोक्त बैचान का बैचान दस्तावेज दिनांक 29.08.2023 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 564 में पृष्ठ संख्या 21 क्रम संख्या 202303442103240 पर उपपंजीयक कार्यालय सांचौर में चलकर प्रार्थीयागण ने मुझ अप्रार्थी संख्या 04 के पक्ष में निष्पादित करवाया तथा मौके पर चलकर मुझ अप्रार्थी का कब्जा करवाया गया जो बदस्तुर मेरा कब्जा बना हुआ है। अतः प्रार्थीयागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन, बलहीन व मनगंढत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमावें ।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरणा व सुविधा का संतुलन प्रार्थीयागण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीयागण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– **आदेश** :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा कारोला पटवार हल्का कारोला में प्रार्थीयागण के पुश्तैनी भूमि खसरा नंबर 2748/335 रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थीगण किसी अनजबी क्रेता को बैचान, हस्तान्तरण, रहन नहीं करे व मौका एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.11 13:12:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner